

न्यायालय सहायक कलक्टर बहरोड जिला कोटपूतली-बहरोड

पीठासीन अधिकारी :- रामकिशोर मीना-॥ (आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बर :- 68/2024

दायर दिनांक :- 03.07.2024

निर्णय दिनांक :- 19.11.2025

उनवान

1. उमेश पुत्र ओमप्रकाश जाति खाती निवासी हमजापुर तहसील बहरोड जिला कोटपूतली-बहरोड।
2. मूर्ति देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति खाती निवासी हमजापुर तहसील बहरोड जिला कोटपूतली-बहरोड।

..... वादीगण

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र रिछपाल जाति खाती निवासी हमजापुर तहसील बहरोड।
2. उप पंजीयक महोदय तहसील बहरोड।
3. तहसीलदार साहब बहरोड तहसील बहरोड।प्रतिवादीगण
4. नीरज पुत्री ओमप्रकाश जाति खाती निवासी हमजापुर तहसील बहरोड जिला कोटपूतली-बहरोड।
5. निशा पुत्री ओमप्रकाश जाति खाती निवासी हमजापुर तहसील बहरोड जिला कोटपूतली-बहरोड।
6. ममता पुत्री ओमप्रकाश जाति खाती निवासी हमजापुर तहसील बहरोड जिला कोटपूतली-बहरोड।तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद इस्तकरारहक व हुकम इम्तनाई
दवामी अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :-

3. श्री सुनिल कुमार यादव अधिवक्ता वादीगण।
4. श्री गोपेश कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

-: पर्चा डिक्री :-

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते आदेश पेश की गई। वकील वादी उपस्थित है। वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाता है कि आराजी ख.नं. हाल 826 रकबा 0.28 है, 825 रकबा 0.27 है, साबिक ख.न. 559 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वाके मौजा हमजापुर, तहसील बहरोड के 1/2 हिस्से में से 1/5 हिस्सा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी कदर हाल भू-अभिलेख का संषोधन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आज दिनांक 19.11.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा द्वारा जारी की गई।



रामकिशोर मीना-॥

(आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर
बहरोड (कोटपूतली-बहरोड)